देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

दिनांक : 25/11/17

अधिसूचना संख्या 875/भू अ०

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–रोहिणी, थाना–देवघर, थाना सं०– 196, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **शंकरपुर–जसीडीह स्टेशन के बीच कॉसिंग नं०–27/C/E के स्थान पर पथ उपरी पुल (ROB) के निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–रोहिणी, थाना–देवघर, थाना सं०–196, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **2.59 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13/क	2610	रैयती	बाड़ी–2	0.40	नवल किशोर गुप्ता पे० स्व० बलदेव साह वो वंशीधर गुप्ता वो मुरलीधर गुप्ता वो मनमोहन गुप्ता वो बमभोला प्र० गुप्ता पे० स्व० अवध किशोर गुप्ता वो रविशंकर गुप्ता वो वो वीरभद्र गुप्ता वो दयाशंकर गुप्ता पे० स्व० बम मोहन प्र० गुप्ता वो रामजीवन प्र० गुप्ता वो अशोक गुप्ता वो बजरंगी गुप्ता पे० स्व० दुर्गा गुप्ता।	दाग नं०, 2568, 2617	मौजा I नावाडीह नं०, 292	मौजा I नावाडीह नं०, 292	दाग नं० 2584, 2574, 2565
2	13/क	2611	रैयती	बाड़ी–1	0.12	तथैव।				
3	144	2614	रैयती	धानी–3	0.09	तथैव।				
4	144	2615	रैयती	बाड़ी–2	0.13	तथैव।				
5	13/क	2610	रैयती	बाड़ी–2	0.05	सच्चिदानन्द झा पे० स्व० बैजनाथ झा।				
6	123/4	2567	रैयती	बाड़ी–2	0.17	गायत्री देवी पति विजय तिवारी पे० स्व० गोविन्द तिवारी।				
7	123/4	2569	रैयती	धानी–3	0.01	तथैव।				
8	125/ क	2718	रैयती	बाड़ी–2	0.14	ज० रैयत नावल्द नया रैयत–तारा देवी पति स्व० विनोदानन्द झा वो राजीव रंजन झा वो हेमन्त कुमार झा वो रत्नेश्वर झा वो सुखी देवी पति स्व० प्रेम शंकर झा वो विशुदानन्द झा पे० स्व० हरेराम झा।				
9	125/ क	3117	रैयती	बाड़ी–2	0.09	तथैव।				
10	860	2585	रैयती	बाड़ी–2	0.32	मो० अमनतुला वो मो० युनुश पे० अब्दुल हमीद वो जावेद अफरोज पे० स्व० मो० ताहीर वो सारूजुद्दीन वो सरफद्दीन वो साजीद अली वो मो० फिरोज पे० स्व० मो० नसरूद्दीन वो मो० अनवर आलम पे० स्व० मो० हसकुतुला 1/2 वो जूवेदा खातुन पे० स्व० सेमुल मियां 1/2।				
11	860	2572	रैयती	धानी–3	0.07	तथैव।				
12	860	2571	रैयती	धानी–3	0.88	तथैव।				
13	860	2570	रैयती	वाड़ी–2	0.12	तथैव।				
				कुल रकवा–	2.59					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के

बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

18/11/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 875 / भू अ0, देवघर, दिनांक 25/11/17
प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

18/11/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।